

and English versions) published in Notification No. S.O. 497(E) in Gazette of India dated the 7th July, 1978, under sub-section (4) of section 27 of the Interest-tax Act, 1974. [Placed in Library. See No. LT-2589/78]

(6) A copy each of Notifications Nos. O.S.R. 390(E) and 391(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 31st July, 1978, together with an explanatory memorandum, rescinding the provisions of Notifications Nos. 13-Customs and 14-Customs dated the 7th January, 1978, under section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library See No. LT-2590/78]

श्री हुकम देव नारायण बाबब (सधुवनी) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना कि हम लोग जो गांवों में यहाँ आए हैं, किसान लोग, वह जब से इन सभन में किसी बात को रखते हैं तो उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम लोग एक साधारण बान समझने वाले लोग हैं। प्राय-कर, धन-कर, सम्पत्ति के ऊपर धतिकर, कम्पनी (लाभ) धतिकर, इयाज-कर और सीमा शुल्क के अधिनियम इन मारे करो के नियमों में सरकार इतने सजोचन करती है। लेकिन इन नियमों में इतने सारे सजोचनों के बावजूद भी जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पंजीपति हैं उन के ऊपर लगभग 25 करोड़ रुपये संकेत धन के कर का बकाया है, काले धन का जो बाकी होगा वह तो धनग हीगा। मैं समझता हू कि उन करो से सबधित नियमों में जो सरकार सजोचन करती रही है और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर जो कमीशन बैठाती रही है उन पर लगभग एक करोड़ रुपये सरकार का खर्च हो गया। लेकिन जब सरकार उन बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों में बकाया कर की बमूनी करने में धनग है तो इन नियमों में सजोचन करने और उन सजोचनों को जो न्यायपटल पर रखने का क्या महत्व है? हम तब तक नहीं मानें कि सरकार का सजोचन सही है या सरकार सही सजोचन कर रही है जब तक वह 25 करोड़ रुपये जो उन के ऊपर बकाया है उनकी बमूनी के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। यह सारे सजोचन बिल्कुल बेकार है और गांवों के हित में, जनता के हित में इन सजोचनों का कोई महत्व नहीं है। प्राय सजोचन कर के सभा पटल पर रखते रहिए लेकिन अबता के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं आपसे उका रहा हूँ। कानून की नजर में यह सही हो, नियमों की नजर में यह सही हो या नहीं लेकिन गांव के रहने वाले लोग यह जानना चाहते हैं कि जो बकाया है उसको बतूल करने में सरकार जल्दी क्यों नहीं करना चाहती है।

2180 LS—9

12.15 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to enclose a copy of the Coast Guard Bill, 1978, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August, 1978."

12.15½ hrs.

COAST GUARD BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Coast Guard Bill, 1978, as passed by Rajya Sabha.

12 16 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

THREAT TO LIVES AND PROPERTIES OF HARIJANS IN KANJHAWALA VILLAGF, NEAR DELHI

SHRI V M SUDHEERAN Alleppey): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"The reported situation prevailing in Kanjhawala village, near Delhi, directly threatening the lives and properties of Harijans."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANK LAL MANDAL): Sir, one hundred and twenty families of Harijans and other landless persons were allotted land in village Kanjhawala, Nangloi Block in the Union